(भारत के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

...

दिनांक: 25 मार्च, 2015

संकल्प

सं.11034/48/2014-रा.भा.(नीति): राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा जारी दिनांक 30.7.1986 के कार्यालय ज्ञापन सं. ।।/12013/2/85-राजभाषा (क.2) का अधिक्रमण करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 से नई पुरस्कार योजना शुरु की जाती है जिसका नाम **"राजभाषा कीर्ति पुरस्कार"** है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित को पुरस्कृत किया जाएगा:-

(क) मंत्रालय/ विभाग

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

(ग) बोर्ड/ स्वायत्त निकाय/ ट्रस्ट आदि

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंक

(ङ) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

(च) हिन्दी गृह पत्रिका

2. राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले उपरोक्त कार्यालयों/ संस्थानों को पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा । प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रथम, दितीय एवं तृतीय पुरस्कार शील्ड के रूप में दिए जाएंगे । पुरस्कारों का निर्णय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर किया जायेगा । पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा । इसके अंतर्गत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर निम्नानुसार पुरस्कार दिए जायेंगे ।

श्रेणी	विवरण	पुरस्कार
मंत्रालय/विभाग	300 से कम स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय 300 से अधिक स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय	03 शील्डें 03 शील्डें
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	क क्षेत्र में स्थित उपक्रम ख क्षेत्र में स्थित उपक्रम ग क्षेत्र में स्थित उपक्रम	03 शील्डें 03 शील्डें 03 शील्डें

बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट आदि	क क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि ख क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि ग क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि	03 शील्डें 03 शील्डें 03 शील्डें
राष्ट्रीयकृत बैंक	क , ख तथा ग क्षेत्र के किए प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार	06 शील्डें
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	क, ख तथा ग क्षेत्र में स्थित एक-एक न.रा.का.स. को	03 शील्डें
हिन्दी गृह पत्रिका	क, ख तथा ग क्षेत्र में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार	06 शील्डें

<u>आदेश</u>

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्पति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पूनम जुनेजा

(पूनम जुनेजा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार, मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

दिनाक: 22मार्च, 2018

संकल्प

संख्या 11034/48/2014- रा.भा.(नीति): राजभाषा विभाग द्वारा दिये जा रहे राजभाषा पुरस्कारों के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :

(क) राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के लिए प्रदान की जाने वाली शील्डों के लिए मंत्रालय/ विभाग/ उपक्रम/ बोर्ड/ स्वायत्त निकाय/ बैंक आदि के कार्मिकों की संख्या कम से कम 30 होने पर ही पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

(ख) कार्यालय ज्ञापन सं 11034/48/2014 - रा.भा.(नीति) दिनांक 25.03.2015 जो राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना से संबन्धित है के

i. मद सं॰ 'क(4)' के अंतर्गत दिये जाने वाले 10 प्रोत्साहन पुरस्कार और मद सं॰ 'ख' के अंतर्गत दिये जाने वाला 1 प्रोत्साहन पुरस्कार वर्ष 2017 से समाप्त कर दिये गए हैं।

ii. मद सं॰ 'ख-(5) : प्रविष्टि भेजने की विधि' के अंतर्गत निम्न उप-मद सं (v) जोड़ दी गई है "सेवानिवृत्त कार्मिक अपनी पुस्तक, पीपीओ की कॉपी संलग्न कर, राजभाषा विभाग को सीधे भेज सकते हैं।"

iii. मद सं॰ 'क-(6)' और 'ख-(4)' जो सामान्य शर्तों के संदर्भ में है के अंतर्गत निम्न उप-मद सं (xi) जोड़ दी गई है "पुरस्कार योजना के अंतर्गत केवल ISBN वाली पुस्तकों को ही शामिल किया जाएगा।"

(ग) राजभाषा कीर्ति/ क्षेत्रीय पुरस्कार के लिए 60 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले को पुरस्कार की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।

(डॉ. बिपिन बिहारी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों,राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार, मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

संख्या: 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च, 2018

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प में संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. नीति आयोग, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
9. लेखा निदेशक (केन्द्रीय राजस्व), नई दिल्ली ।
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियां)
13. निदेशक, जन-सम्पर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें ।
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
15. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा (नीति) डेस्क के लिए ।
17. निदेशक, एनआईसी, राजभाषा विभाग कृपया इस संकल्प को राजभाषा विभाग की वैबसाइट पर अद्यतन करने का कष्ट करें।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

संख्या: 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) नई दिल्ली, दिनांक २८ मार्च , 2015

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प में संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
9. लेखा निदेशक (केन्द्रीय राजस्व), नई दिल्ली ।
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियां)
13. निदेशक, जन-सम्पर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली। उनसे अनुरोध है कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें ।
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
15. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा (नीति) डेस्क के लिए ।

पूनम जुनेजा

(पूनम जुनेजा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

दिनाक 31 अक्टूबर 2016

संकल्प

संख्या 11034/48/2014- रा.भा.(नीति): राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के संबंध में विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) दिनांक 25.03.2015 एवं दिनांक 14.07.2016 के अनुक्रम में "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से गृह पत्रिकाओं के लिए अंक तालिका में संशोधन करते हुए निम्नलिखित मद व उनके अंक तय किए गए हैं:

पत्रिकाओं से संबंधित

(क) I. पत्रिका की राजभाषा को बढ़ावा देने में उपयोगिता - 20 अंक

II. सरकारी कामकाज में उपयोगिता - 30 अंक

III. भाषा, शैली एवं प्रस्तुतीकरण - 20 अंक

IV. विन्यास, साज सज्जा कागज की गुणवत्ता एवं मुद्रण स्तर - 20 अंक

V. आंतरिक कार्मिकों द्वारा लेखों का अनुपात - 10 अंक

VI. छपे लेखों की मौलिकता - 30 अंक

2. गृह-पत्रिकाओं के पुरस्कार चयन के लिए गठित समिति में सात सदस्यों के बजाय कुल पांच सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव (राजभाषा) - अध्यक्ष, राजभाषा विभाग से दो सदस्य एवं अन्य दो गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

3. गृह पत्रिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए सभी कार्यालयों से पत्रिकाओं की कुल पांच प्रतियां मंगाई जाएंगी।

लेखों से संबंधित

(ख) उत्कृष्ट लेखों के लिए अंक तालिका में संशोधन करते हुए निम्नलिखित मद व उनके अंक तय किए गए हैं:

I. विषय की सरकारी कामकाज में उपयोगिता - 20 अंक

II. भाषा की सरलता एवं स्पष्टता - 20 अंक

III. विषय विचारों के प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता - 15 अंक

IV. समसामयिक विषय - 20 अंक

V. विचारों की मौलिकता - 25 अंक

4. उत्कृष्ट लेखों के मूल्यांकन के लिए गठित समिति में सात सदस्यों के बजाय पांच सदस्य होंगे, जिसमें संयुक्त सचिव (राजभाषा) - अध्यक्ष, राजभाषा विभाग से दो सदस्य एवं अन्य दो गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

5. राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य-सचिवों को दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र को मंच पर देने के बजाय अलग से दिए जायेंगे।

<u>आदेश</u>

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार, मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

संख्या: 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2016

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प में संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली । अक्टूबर
7. नीति आयोग, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
9. लेखा निदेशक (केन्द्रीय राजस्व), नई दिल्ली ।
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियां)
13. निदेशक, जन-सम्पर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें ।
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
15. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा (नीति) डेस्क के लिए ।
17. निदेशक, एनआईसी, राजभाषा विभाग।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

(भारत क राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

....

दिनांक 20 फरवरी, 2017

संकल्प

सं. 11034/48/2014-रा.भा.(नीति): आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न विधाओं एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के संबंध में राजभाषा गौरव पुरस्कार एवं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत संकल्प संख्या 11034/48/2014 - रा.भा.(नीति) दिनांक 31 अक्टूबर 2016 के क्रम में उक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया गया है:

1.1 वर्तमान में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत तीन बड़े और तीन छोटे मंत्रालयों को पुरस्कार दिए जाते हैं। कुछ मंत्रालयों/विभागों को बार-बार पुरस्कार मिलतें हैं, जिसके कारण अन्य मंत्रालयों/विभागों को अवसर नहीं मिलता। अत: यदि किसी मंत्रालय/विभाग को लगातार दो वर्षों तक प्रथम पुरस्कार दिया जाता है, तो उसे तीसरे वर्ष पुरस्कार न देते हुए अन्य विभाग को अवसर दिया जाएगा।

1.2 राज़भाषा गौरव पुरस्कार योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिकाओं में छपे उत्कृष्ट लेख लिखने वाले लेखकों को नकद राशि के साथ प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न भी प्रदान किए जाएंगे।

1.3 क्षेत्रीय पुरस्कारों में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए दो श्रेणी हैं। (क) 50 कार्मिकों तक की संख्या वाले कार्यालय तथा (ख) 50 कार्मिकों से अधिक संख्या वाले कार्यालय। अब 10 कार्मिकों तक के कार्यालयों की एक अलग श्रेणी बनायी जाएगी और इस श्रेणी में केवल प्रथम पुरस्कार दिए जाएंगे। इस प्रकार केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए प्रत्येक भाषायी क्षेत्र में कुल सात पुरस्कार होंगे, अर्थात 1 से 10 कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों के लिए एक पुरस्कार, 11 से 50 कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों के लिए 3 पुरस्कार तथा 50 कार्मिकों से अधिक संख्या वाले कार्यालयों के लिए 3 पुरस्कार दिए जाएंगे।

2. राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार पाने वाले कार्यालयों के नाम का विचार क्षेत्रीय पुरस्कार के लिए नहीं किया जाएगा।

3. पुरस्कार योजना में उपर्युक्त संशोधन 1 अप्रैल 2017 से कार्यान्वित होगा।

<u>आदेश</u>

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में
प्रबंधक,
भारत सरकार,मुद्रणालय,
फरीदाबाद(हरियाणा)

संख्या: 11034/48/2014-रा.भा.(नीति)   नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2017

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प में संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. नीति आयोग, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
9. लेखा निदेशक (केन्द्रीय राजस्व), नई दिल्ली ।
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियां)
13. निदेशक, जन-सम्पर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें ।
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
15. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा (नीति) डेस्क के लिए ।
17. निदेशक, एनआईसी, राजभाषा विभाग ।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार